रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2011/कार्तिक 2, 1933

No. 588] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2011/KARTIKA 2, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 20 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 780(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' गैर तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहाँ तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू.**—ये नियम, इन नियमों की संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतन मान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.उच्च श्रेणी लिपिक	69* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन बैंड- 1 ₹ 5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 2400	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच। (समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण 2.- आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापित करेगा ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री । टिप्पण.- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

सीधे भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष और पदोन्नत कर्मियों के लिए 'शून्य'	(i) पचास प्रतिशत ज्येष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) पचीस प्रतिशत विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (iii) पचीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	1. प्रोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक ₹ 5200- 20200 के वेतन बैंड में ₹ 1900 के ग्रेड वेतन सहित आठ वर्ष की नियमित सेवा । टिप्पण I .- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण II .- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। 2. विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा आधार पर प्रोन्नति :- अवर श्रेणी लिपिक ₹ 5200- 20200 के वेतन बैंड में ₹ 1900 के ग्रेड वेतन सहित पाँच वर्ष की नियमित सेवा और जिसने विभागीय सीमिति प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, अर्थात :- (क) निबंध लेखन और सार लेखन - अंक 100. (ख) टिप्पण और प्रारूप लेखन - अंक 100. (ग) कार्यालय पद्धति, वित्तीय और सेवा नियमों का ज्ञान - अंक 100. (घ) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक निष्पादन मूल्यनिर्धारण रिपोर्ट - अंक 100.	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति और पुष्टि हेतु होगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - अध्यक्ष (2) प्रशासनिक अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय - सदस्य (3) पोत परिवहन मंत्रालय के किसी अन्य विभाग के समूह 'क' का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

			3. प्रतिनियुक्ति :- केन्द्र सरकार के वे अधिकारी जो :- (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा अथवा समतुल्य सेवा रखते है। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले जब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया हैअथवा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रदत्त वेतनमान दिया गया हो ,नियमित आधार पर की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी लिपिक	61* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹ 1900	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच। (समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समतुल्य से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और (ii) कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टंकण की गति । (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट के तदनुरूप 10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच, प्रति शब्द हेतु औसतन 05 कुंजी दाब)

					कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण 2.- आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापित करेगा ।	टिप्पण.- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जी हाँ, कॉलम 10 में विनिर्दिष्ट सीमा तक।	दो वर्ष।	(i) पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ii) (क) दस प्रतिशत रिक्तियां, समूह 'ग' के कर्मचारियों में से भरी जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 1 में ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 1800 मे तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो और 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य योग्यता रखते हों, को विभागीय योग्य परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। (ख) परीक्षा हेतु योग्यता हेतु अधिकतम आयु सीमा पैतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति हेतु पचास वर्ष); (ग) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; और (घ) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :- (क) लघु निबंध लेखन - 100 अंक (ख) सामान्य अंग्रेजी / हिंदी - 100 अंक (ग) सामान्य ज्ञान - 100 अंक (घ) हिंदी अथवा अंग्रेजी टंकण परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। टिप्पण .- यदि कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, रिक्तियों अनुच्छेद (ii) के अधीन से अधिक होती है तो अतिरिक्त कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को बाद में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले अवसर प्राप्त हो सके ; और (iii) पाँच प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' के कर्मचारियों में से वरिष्ठता और उपयुक्तता आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 1800 में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।	जैसा कि कॉलम 10 में कथित है ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति और पुष्टि हेतु होगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - अध्यक्ष (2) प्रशासनिक अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय - सदस्य (3) पोत परिवहन मंत्रालय के किसी अन्य विभाग के समूह 'क' का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 3/3/2006-प्रशा.-I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Noida, the 20th October, 2011

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'C' and Group 'D' Non-Technical posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications. – No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay/pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Upper Division Clerk.	69* (2011) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', non-gazetted, ministerial.	Pay band-1 ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 2400.	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1.-The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Laskshadweep). Note 2.- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Bachelor's degree from a recognised University or equivalent. Note.- Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits; and 'Nil' for promotees.	(i) Fifty per cent by promotion on the basis of seniority cum fitness failing which by deputation failing both by direct recruitment. (ii) twenty-five per cent by promotion on the basis of Limited Department Competitive Examination, failing which by deputation failing both by direct recruitment. (iii) Twenty-five per cent by direct recruitment.	1. Promotion: Lower Division Clerk with eight years regular service in the pay band of ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹1900. Note I.- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying eligibility service. Note II. - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay	Group 'C' Departmental Promotion Committee, for promotion and confirmation, consisting of:- (1) Seniormost Deputy Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman (2) Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member (3) A Group 'A' officer from the any other Department of the Ministry of Shipping - Member.	Not applicable.

			structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay-scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. 2. Promotion on the basis of Limited Department Competitive Examination:- Lower Division Clerk with five years regular service in the pay band of ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 1900 and qualify the limited Departmental Completive Examination. Syllabus for Limited Department Competitive Examination namely:- (a) essay writing and precise writing – 100 marks; (b) noting and drafting – 100 marks; (c) knowledge of office procedure, financial and service rules – 100 marks; (d) assessment of Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Report – 100 marks; and 3. Deputation: - Officers of the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis; or		

3937 GI/2011-2

			(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. Note 1.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.-Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications. Note 4.- For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been		

			extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay-scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay or pay-scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Lower Division Clerk.	61* (2011) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C', non-gazetted, ministerial.	Pay band-1 ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 1900.	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Laskshadweep). Note 2. - The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Class pass from a recognised Board or equivalent; and (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9	(10)	(11	(12)	(13)
Yes, to the extent Specified in column 10.	Two years.	(I) Eighty-five per cent by direct recruitment; (II)(A) ten per cent of vacancies shall be filled on the basis of departmental qualifying examination from amongst the Group "C" Staff who have rendered three years regular service in the pay band-1 ₹ 5200--2020 grade pay of ₹ 1800 and 12th Class pass or equivalent qualification; (B) The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years. .(Fifty years of age for the Scheduled castes or Scheduled Tribes); (C) failing which by direct recruitment; and (D) the Syllabus for examination shall be as under:- (a) short essay writing– 100 marks (b) general English/Hindi – 100 marks (c) general Knowledge – 100 marks (d) typing test in Hindi or English to be conducted by the Staff Selection Commission. Note.- If number of the employees, those qualified the Examination are more than the vacancies available under Clause (ii) then excess number of employees shall be considered in the subsequent years for filling the vacancies so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination; and (III) five per cent vacancies shall be filled up on seniority cum fitness basis from Group "C" employees who have three years' regular service in the post with grade pay of ₹ 1800.	As stated in column 10.	Group 'C' Departmental Promotion Committee, for promotion and confirmation, consisting of:- (1) Seniormost Deputy Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman (2) Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member (3) A Group 'A' officer from the any other Department of the Ministry of Shipping - Member.	Not applicable.

[F. No. 3/3/2006-Admn.-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.